फर्द अहकाम

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

आई सी आई सी आई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय–'लैण्डमार्क' रेस कॉर्स सर्कल बडोदरा तथा शाखा कार्यालयः–2 सी मधुबनी, मधुबन उदयपुर–313001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी राकेश शर्मा।

–प्रार्थी

बनाम

1- श्री विक्रम आर्य पिता श्री भंवर लाल आर्य निवासी – (अ) 31–B कलालवती, तहसील एवं जिला– राजसमन्द (राज) (ब) B–ब्लॉक, ईन्द्रप्रस्थ काम्पलेक्स, 3rd फ्लोर, B विंग, किशोरनगर, तहसील एवं जिला–राजसमन्द (राज)(स) ओल्ड कलेच रोड़, सुभाष नगर के सामने, कांकरोली, तहसील एवं जिला–राजसमन्द (राज)

– ऋणी

2. श्रीमती संतोष देवी पत्नि श्री विक्रम आर्य निवासी (अ) 31–B, ईन्द्रप्रस्थ काम्पलेक्स, कलालवती, तहसील एवं जिला– राजसमन्द (राज) (ब) B–ब्लॉक, ईन्द्रप्रस्थ काम्पलेक्स, कलालवती, तहसील एवं जिला– राजसमन्द (राज)

– सहऋणी

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 04/2023**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 26.06.2023 प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी आई सी आई सी आई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड उदयपुर ने दिनांकः 16.01.2023 को इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी कम्पनी से जरिये ऋण करार संख्या LHRSM00001293334 के द्वारा 10,27,269/– अक्षरे दस लाख सताइस हजार दो सौ उनसत्तर रूपये का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुनः भुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल सम्पत्ति – श्रीमति संतोष देवी पत्नि श्री विक्रम आर्य के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय सम्पत्ति फ्लैट नं.–37–B, 3rd फ्लोर, B विंग जिसका क्षेत्रफल 500 वर्गफीट है जो कि ईन्द्रप्रस्थ काम्पलेक्स, गांव–किशोरनगर, तहसील एवं जिला राजसमन्द	

(राज) में स्थित है, को प्रार्थी कम्पनी के पास रहन किया। अप्रार्थीगण ने
नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी के उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सकें और
दिनांक 03.12.2021 को ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम डिफाल्ट होने पर
अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खाते को एन.पी.ए घोषित कर दिया है। प्रार्थी
कम्पनी ने अप्रार्थीगण के ऋण खाता संख्या **LHRSM00001293334** में
बकाया रूपये 10,85,167/– रूपये अक्षरे दस लाख पचासी हजार एक सौ
सतसठ रूपये मात्र बकाया रकम व ब्याज दिनांक 15.01.2022 तक शेष व देय
निकलते है, की मांग हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक
18.01.2022 को एक मांग नोटिस भी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक के माध्यम से
अप्रार्थीगण को उनके ज्ञात पतों पर प्रेषित किया जो कि अप्रार्थीगण को प्राप्त
हो गये, परन्तु उक्त नोटिस की जानकारी व प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण
द्वारा प्रार्थी कम्पनी की बकाया ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। यह
कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुर्न भुगतान
के लिए जो सम्पति रहन रखी है। उसका प्रार्थी कम्पनी में रहन दस्तावेजों के
अनुसार विवरण इस प्रकार है। श्रीमति संतोष देवी पत्नि श्री विक्रम आर्य के
नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय सम्पत्ति फ्लैट नं.–37–B, 3rd फ्लोर, B विंग
जिसका क्षेत्रफल 500 वर्गफीट है जो कि ईन्द्रप्रस्थ काम्पलेक्स, गांव –
किशोरनगर, तहसील एवं जिला राजसमन्द (राज) में स्थित है। प्रार्थी कम्पनी
उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कम्पनी प्रकरण में वर्णित सिक्यूरिटी
रहनशुदा सम्पति का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय
राशि वसूल करने का अधिकारी है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा सहऋणी को
धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति
हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांक: 18.01.2022 को जारी किया
गया था। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख
व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन
अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी आई सी आई सी आई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड पंजीकृत
कार्यालय–'लैण्डमार्क' रेस कॉर्स सर्कल बडोदरा तथा शाखा कार्यालय :– 2
सी मधुबनी, मधुबन उदयपुर–313001 द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पति
का विवरण :– श्रीमति संतोष देवी पत्नि श्री विक्रम आर्य के नाम भूमि एवं
निर्माण आवासीय सम्पत्ति फ्लैट नं.–37–B, 3rd फ्लोर, B विंग जिसका क्षेत्रफल
500 वर्गफीट है जो कि ईन्द्रप्रस्थ काम्पलेक्स, गांव–किशोरनगर, तहसील एवं
जिला राजसमन्द (राज) में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो
सभी संपति के अभिन्न अंग है। जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि
पूर्व :– सामलाती गली एवं फ्लेट नं.–38–बी, पश्चिम :– खुला, उत्तर :–

खुला, दक्षिण :– फ्लेट नं.–36–बी हैं।

उपरोक्त प्रकरणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी आई सी आई सी आई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड उदयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी आई सी आई सी आई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड उदयपुर को नियमानुसार राजकोष में पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)